


तारीख
हुक्म

22/02/23



श्री. मूलचन्द

शुक्ली के द्वारा दस्तावेज प्रामाण्य
को प्रविष्टा किमे जान का प्रामाण्य
पेशा किमे जान पर प्रामाण्य किमे
से तलबी की गई। शुक्ली ने
निवेदन किया कि प्रकरण में कुछ
शुक्ली बाठा का डेटाबेस होने के
बाद भी उनको शुक्ली बाठा प्रमाण
के रूप में शर्कना-पत्र में शामिल
कर लिया गया था इस कारण
उक्त प्रामाण्य को प्रिन्ट करना
प्रामाण्य पेशा करना चाहता है।
शुक्ली को खुश हुआ। शुक्ली का
प्रिन्ट का प्रामाण्य स्वीकार कर
दस्तावेज प्रामाण्य शुक्ली को तथा
प्रामाण्य पेशा करने की शर्त पर
प्रिन्ट करने की शर्तों पर प्रामाण्य
की जाती है। मिस्टर इज्जत खन्
ले कम होकर फारिद हफ्तर
को।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी